दिनांक 13.10.2021
प्रेस विज्ञप्ति 13/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–39

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 47 हजार 800 रूपये नगद**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **चोरी की 01 आई–10 कार आदि बरामद**

दिनांक 13.10.2021 को थाना सेक्टर–39 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर 44 से सेक्टर 98 सर्विस रोड के पास चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–जोवद 2–पुष्पेन्द्र घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त अरूण उर्फ अन्नी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 47 हजार 800 रूपये नगद, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस, चोरी की 01 आई–10 कार आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जावेद के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद अलीगढ़ व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 29 अभियोग, अभियुक्त पुष्पेन्द्र के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद अलीगढ़ व दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 20 अभियोग व अभियुक्त अरूण उर्फ अन्नी के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधड़ी, चोरी, अपहरण, आर्म्स एक्ट के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–39 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–जोवद निवासी विलासपुर थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

2–पुष्पेन्द्र निवासी विद्यागढ़ी टप्पल जनपद अलीगढ़।

3–अरूण उर्फ अन्नी निवासी विलासपुर थाना दनकौर कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 47 हजार 800 रूपये नगद।

2–03 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

3–चोरी की 01 आई–10 कार आदि।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सूरजपुर</u>

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 55 लाख रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त कार**
- **02 फर्जी आईडी**
- **01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 13.10.2021 को थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम देवला के पास से 03 अभियुक्तों 1–रकमसिंह उर्फ राकी 2–राजेश कुमार उर्फ सोनू 3–अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 55 लाख रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त कार, 02 फर्जी आईडी, 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.10.2021 को थाना सूरजपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर

अभियोग अन्तर्गत धारा 394 भादवि का पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रकमसिंह उर्फ राकी निवासी ग्राम असतौली थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

2–राजेश कुमार उर्फ सोनू निवासी ग्राम असतौली थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

3–अमित कुमार निवासी ग्राम असतौली थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लूट के 55 लाख रूपये नगद।

2– घटना में प्रयुक्त कार।

3– 02 फर्जी आईडी।

4– 01 अवैध तमंचा, 01 जीवित कारतूस आदि।

जनपद आगरा/थाना जगदीशपुरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 सोने बिस्कुट(वजन 03 किलो 962 ग्राम)**
- **24 लाख रूपये नगद**
- **01 चाबी, 01 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 12.10.2021 को थाना जगदीशपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीएस टाबर के पास से अभियुक्त रोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 सोने के बिस्कुट(वजन 03 किलो 962 ग्राम),24 लाख रूपये नगद, 01 चाबी, 01 मोबाइल फोन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 01.09.2021 को वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना जगदीशपुरा पर अन्तर्गत धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत कर घटना के

अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये व सोने के बिस्कुट उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोहित निवासी महलई थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।

बरामदगी

1— चोरी के 05 सोने के बिस्कुट(वजन 03 किलो 962 ग्राम)।
2—24 लाख रूपये नगद।
3— 01 चाबी।
4— 01 मोबाइल फोन।

जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 01 लाख 90 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 लैपटाप, 06 सिमकार्ड, हार्डडिस्क,**
- **02 डेविड/केडिट कार्ड बरामद**

दिनांक 12.10.2021 को थाना कोतवाली सदर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टैण्ड उन्नाव के पास से आधार इनेबल पेमेन्ट सिस्टम के माध्यम से धोखाधड़ी कर पैसे निकलवाने वाले 02 अभियुक्तों 1—वीरेन्द्र कुमार 2—आलोक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 01 लाख 90 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 लैपटाप, 06 सिमकार्ड, 01 हार्डडिस्क, 02 डेविड/केडिट कार्ड बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–वीरेन्द्र कुमार निवासी हुक्मीखेड़ा थाना सुरौट जनपद करौली, राजस्थान।

2–आलोक निवासी घनश्यामनगर थाना सोनौली जनपद महराजगंज।

<u>बरामदगी</u>

1–धोखाधड़ी के 01 लाख 90 हजार रूपये नगद।

2– 03 मोबाइल फोन,।

3–01 लैपटाप।

4– 06 सिमकार्ड।

5–01 हार्डडिस्क।

6– 02 डेबिड/क्रेडिट कार्ड।

<u>जनपद सीतापुर/थाना सकरन</u>

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 12.10.2021 को थाना सकरन टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तम्बौर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सकरन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुरेन्द्र उर्फ पप्पू निवासी ग्राम अजयपुर थाना सकरन जनपद सीतापुर।

जनपद रामपुर/थाना भोट

- **03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 चार पहिया वाहन**
- **02 आयशर कैन्टर**
- **02 अवैध तमंचा, 04 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 12/13.10.2021 को थाना भोट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खूटाखेड़ा बैरियर पर चेकिंग के दौरान 03 शातिर वाहन चोरो 1–रहमान 2–आसिम 3–मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 चार पहिया वाहन, 02 आयशर कैन्टर, 02 अवैध तमंचा, 04 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर हैं, जो दिल्ली, हरियाणा प्रान्त व गौतमबुद्धनगर से वाहनों को चोरी कर सस्ते दामों पर बेच देते है।

इस सम्बन्ध में थाना भोट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रहमान निवासी मोहल्ला नारापार मोरी गेट थाना कोतवाली जनपद रामपुर।

2–आसिम निवासी मोतीनगर झण्डा चौक कस्बा व थाना टाण्डा जनपद रामपुर।

3–मुस्तफा निवासी मोहल्ला काजीपुरा कस्बा व थाना टाण्डा जनपद रामपुर।

बरामदगी

1– चोरी की 05 चार पहिया वाहन।

2–02 आयशर कैन्टर।

3– 02 अवैध तमंचा, 04 जीवित कारतूस आदि।

जनपद मथुरा/थाना कोसीकलां

- **08 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 चार पहिया वाहन**
- **चोरी की कटी हुई 02 चार पहिया वाहन के इंजन**
- **चोरी के 21 चार पहिया वाहन के पार्ट्स**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 12.10.2021 को थाना कोसीकलां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कोसीकलां क्षेत्र से 08 अभियुक्तों 1–मनीष 2–इरफान 3–सलीम 4–अकरम उर्फ आसिफ, 6–सोनू, 7–सुम्मेर 8–अनीश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 चार पहिया वाहन, चोरी की कटी हुई 02 चार पहिया वाहन के इंजन, चोरी की 21 चार पहिया वाहन के पार्टस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त मनीष के विरूद्ध दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी आदि के 37 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा गैर प्रान्त से वाहनों को चोरी कर अपने साथियों के माध्यम से सस्ते दामों में बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोसीकलां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मनीष निवासी बी ब्लाक कमालपुर थाना बुराडी नार्थ, दिल्ली।

2–इरफान निवासी ग्रुस गंज कस्बा व थाना कोसीकलॉ जनपद मथुरा।

3–नसीम निवासी काशीराम आवास के पास कस्बा व थाना कोसीकलॉ जनपद मथुरा।

4–सलीम निवासी नाडूवास कस्बा व थाना कोसीकलां जनपद मथुरा।

5–अकरम उर्फ आसिफ निवासी कस्बा व थाना कोसीकलॉ जनपद मथुरा।

6–सोनू निवासी नत्थी कालोनी कस्बा व थाना कोसीकलॉ जनपद मथुरा।

7–सुम्मेर निवासी नगला माहसुख थाना सैपऊ जनपद हाथरस।

8–अनीश निवासी मोहल्ला मुकैरियान तांगा स्टैण्ड थाना सदर बाजार, जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–चोरी की 05 चार पहिया वाहन।

2– चोरी की कटी हुई 02 चार पहिया वाहन के इंजन।

3–चोरी के 21 चार पहिया वाहन के पार्टस।

4– 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि ।

जनपद गाजियाबाद/थाना कविनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 05 करोड़ रूपये कीमत की भारी मात्रा में मोबिल ऑयल**
- **मोबिल ऑयल बनाने के उपकरण व सामाग्री आदि बरामद**

दिनांक 12.10.2021 को थाना कविनगर, मसूरी पुलिस व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कविनगर क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–सौरभ 2–जयचन्द को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 करोड़ रूपये कीमत की विभिन्न कम्पनियों के नकली मोबिल ऑयल, मोबिल ऑयल बनाने के उपकरण बरामद आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कविनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सौरभ निवासी आर0के0पुरम गोबिन्दपुरम हालपता–ई–1 कृष्णा गार्डेन, एन्कलेव एनडीआरएफ रोड थाना मधुवन गाजियाबाद।

2–जयचन्द निवासी कैलाशनगर थाना विजयनगर जनपद गाजियाबाद, मूलनिवासी ग्राम कुराली थाना जानी जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—लगभग 05 करोड़ रूपये कीमत की विभिन्न कम्पनियों के नकली मोबिल ऑयल।

2—मोबिल ऑयल बनाने के उपकरण व सामाग्री आदि।

जनपद जौनपुर/थाना मुगराबादशाहपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 हजार बोतल अवैध शराब**
- **540 लीटर अवैध शराब**
- **30 हजार ढक्कन, 08 हजार रैपर,**
- **अवैध शराब बनाने के उपकरण व सामाग्री आदि**
- **01 स्कार्पियों वाहन**
- **04 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा**
- **01 अवैध पिस्टल, 01 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 12.10.2021 को थाना मुगराबादशाहपुर, थाना पंवारा व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोविन्ददास पुलिया के पास से चेकिंग के दौरान स्कार्पियों वाहन सवार 03 अभियुक्तों 1— राजेश 2—विजय 3—अमित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 हजार बोतल अवैध शराब, 540 लीटर अवैध शराब, 30 हजार ढक्कन, 08 हजार रैपर, अवैध शराब बनाने के उपकरण व सामाग्री, 04 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा, 01 स्कार्पियों वाहन, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना मुगराबादशाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजेश निवासी —12 मुस्तफाबाद थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।

2—विजय निवासी चुरावनपुर थाना बक्शा जनपद जौनपुर।

3—अमित निवासी नगौली थाना सुजानगंज जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—01 हजार बोतल अवैध शराब।

2—540 लीटर अवैध शराब।

3—30 हजार ढक्कन।

4—08 हजार रैपर।

5—अवैध शराब बनाने के उपकरण व सामाग्री।

6—04 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा।

7— 01 स्कार्पियों वाहन।

8— 01 अवैध पिस्टल मय जीवित कारतूस आदि।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना मल्हीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्ता को 10 वर्ष के कारावास की सजा, 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

  जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय ए0एस0जे0/एफटीसी जनपद श्रावास्ती द्वारा थाना मल्हीपुर पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 306 भादवि में अभियुक्ता को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

———